

संयुक्त संसदीय समिति (JPC)

स्रोत: द हिंदू

भारत के मुख्य वपिक्षी दल ने कुछ ऐसे दावों की जाँच के लिये एक **संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee - JPC)** के गठन का आह्वान किया है जिनके आधार पर अडानी समूह ने उच्च गुणवत्ता बताते हुए तमलिनाडु में एक सरकारी कंपनी को नमिन श्रेणी का कोयला बेचा है।

- **JPC** एक तदर्थ समिति है, जो किसी **वशिष्ट वषिय** या **वधियक** की गहन जाँच करने के लिये **संसद** द्वारा स्थापति की जाती है।
 - इसमें दोनों सदनों के साथ-साथ सत्तारूढ़ और वपिक्षी दलों के सदस्य शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के एक सदस्य (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त) द्वारा की जाती है।
 - **संसद JPC** की संरचना निर्धारित करती है और सदस्यों की संख्या पर **कोई सीमा निर्धारित नहीं** है।
 - समिति को कार्यकाल या कार्य पूरा करने के बाद **भंग** कर दिया जाता है।
 - समिति की सफारिशें **सलाहकारी** होती हैं और सरकार के लिये उनका पालन करना **अनिवार्य नहीं** है।
 - हालाँकि, प्रवर समितियों और JPC के सुझाव, जसिमें सत्तारूढ़ दल के सांसदों तथा प्रमुखों का बहुमत होता है, मुख्य तौर पर स्वीकार किये जाते हैं।
- JPC के पास **वशिषज्जों, सार्वजनिक नकियाँ, संघों, व्यक्तियों या इच्छुक दलों** से उनके अनुरोधों के जवाब में **साक्ष्य एकत्रित करने** का अधिकार है।
- **ऐसे कुछ मामले जनिमें JPC का गठन किया गया उनमें शामिल हैं:**
 - बोफोर्स घोटाला (1987)
 - हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला (1992)
 - केतन पारेख शेयर बाज़ार घोटाला (2001)
 - **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC, 2016)**
 - **व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक (2019)**

और पढ़ें: [संसदीय समितियाँ, संसद की प्रवर समिति](#)